5-1-18 ... वकील अपीलांट / रेस्पो० उपस्थित ... अधिकारी महोदय आज ... हैं। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 22-1-18 को पेश होवे

22-1-18 ... आज्ञानुसार दिनांक 1-2-18 को पेश होवे

1-2-18 वकुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस उभयपक्षों की सुनी गई ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा इस्तकरार हक हुक्म इम्तनाई दवामी बटवारा एवं दुरूस्ती रेकार्ड का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 818 रकबा 0.60 हैक्टर, ख0नं0 820 रकबा 1.92 हैक्टर ख0नं0 828 रकबा 1.52 हैक्टर, ख0नं0 829 रकबा 1.05 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 5.19 हैक्टर ग्राम गुगारा एवं आराजी ख0नं0 812 रकबा 0.78 हैक्टर ख0नं0 813 रकबा 1.16 हैक्टर ग्राम गुगारा में अवस्थित जिसकी सिंचाई चाह ख0नं0 821 से होती है ।ग्राम

तारपुरा में आराजी ख0नं0 1048 रकबा 2.25 हैक्टर ख0नं0 1164 रकबा 1.94 हैक्टर, ख0नं0 1165 रकबा 1.85 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 6.04 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 की पैत्रिक भूमियां हैं । जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है । जिसका वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग किया जावे । अदालत मातहत में प्रतिवादी सं0-4 बोगी बेवा गीगाराम के नोटिस पर फौत होने की रिपोर्ट आई तथा पत्रावली की आदेशिका दिनांक 31-7-2003 भी पर दरखवास्त कायम मुकाम के दिनांक 8-9-2003 को पेश होने के लिये पेशी दी गई दि0 8-9-2003 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य पर है पेशी दिनांक 14-10-2003 दी गई । दिनांक 14-10-2003 को बिना कायम मुकाम कार्यवाही के ही बहस सुनकर दिनांक 23-10-2003 को आदेश पारित किया है ।

इस आदेश के विरूद्ध अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट को तलब किया जाकर बहस उभयपक्षों की सुनी जाकर पत्रावली का का अवलोकन किया गया

बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर आया कि अदालत मातहत ने दावे में मृतक प्रतिवादी सं0-4 बोगी बेवा गीगाराम के कायम की कार्यवाही किये बिना ही आदेश पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरित है । कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश शुरू से ही शून्य माना जाता है। अदालत मातहत में दौराने सुनवाई प्रतिवादी सं0-4 की मृत्यु की सूचना नोटिस पर आ गई तथा कायम मुकाम कार्यवाही बाबत आदेशिका में भी लिखा गया किन्तु कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया है जो एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध है । जिसे यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते हैं ।

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	एवं डिक्री दिनांक 23-10-2003 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये सभी पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 16-3-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 26/02/2018 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	